कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

पताः— जिला पंचायत कार्यालय के पीछे
छोटे अतरमुड़ा रायगढ़
ई मेलः— deo123.raigarh@gmail.com

//संविदा भर्ती विज्ञापन//

क्रमांक/2750/सेजेस सेल/सं.भ.वि./2025—26 रायगढ़ दिनांक 22 मई 2025

रायगढ़ जिला के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना अंतर्गत संचालित विद्यालयों में रिक्त 58 पदों पर मेरिट के आधार पर संविदा नियुक्ति किया जाना है, जिसके लिये दिनांक 22.05.2025 से 01.06.2025 तक गूगल फॉम के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित वर्ग	रिक्त पीएम श्री सेजेस/सेजेस विद्यालयों के नाम
1	व्याख्याता हिन्दी	3	अनारक्षित	पीएम श्री सेजेस घरघोड़ा, सेजेस कोतरा एवं सेजेस चपले
2	व्याख्याता संस्कृत	3	अनारक्षित	पीएम श्री सेजेस कोड़ातराई, सेजेस चपले, सेजेस कोतरा
3	व्याख्याता अंग्रेजी	3	अनारक्षित	पीएम श्री सेजेस कोड़ातराई, सेजेस चपले, सेजेस कोतरा
4	व्याख्याता गणित	4	अनारक्षित	पीएम श्री सेसेज धरमजयगढ़, पीएम श्री सेजेस कोड़ातराई, सेजेस चपले, सेजेस कोतरा
5	व्याख्याता जीवविज्ञान	2	अनारक्षित	सेजेस चपले एवं सेजेस कोतरा
6	व्याख्याता भौतिकी	2	अनारक्षित	पीएम श्री सेसेज धरमजयगढ़, सेजेस कोतरा,
7	व्याख्याता रसायन	1	अनारक्षित	पीएम श्री सेसेज धरमजयगढ़,
8	व्याख्याता वाणिज्य	1	अनारक्षित	पीएम श्री सेजेस तमनार,
9	व्याख्याता वाणिज्य	1	अ.ज.जा.	सेजेस चपले
10	प्रधान पाठक माध्यमिक खण्ड	1	अनारक्षित	पीएम श्री सेजेस घरघोड़ा
11	प्रधान पाठक प्राथमिक खण्ड	2	अनारक्षित	सेजेस पुसौर एवं पीएम श्री सेजेस घरघोड़ा,
12	शिक्षक गणित	5	अनारक्षित	पीएम श्री सेजेस नटवर, पीएम श्री सेजेस लैलूंगा, पीएम श्री सेजेस धरमजयगढ़, पीएम श्री सेजेस कोड़ातराई एवं सेजेस चपले
13	शिक्षक अंग्रेजी	1	अनारक्षित	सेजेस चपले
14	शिक्षक विज्ञान	2	अनारक्षित	पीएम श्री सेजेस लैलूंगा एवं पीएम श्री सेजेस कोड़ातराई
15	शिक्षक कला	1	अनारक्षित	पीएम श्री सेजेस कोड़ातराई
16	व्यायाम शिक्षक	2	अनारक्षित	सेजेस तमनार, पीएम श्री सेजेस घरघोड़ा,
17	कम्प्यूटर शिक्षक	1	अनारक्षित	पीएम श्री सेजेस धरमजयगढ़
18	सहायक शिक्षक	4	अनारक्षित	सेजेस पुसौर, सेजेस तमनार, 02—02 पद रिक्त
19	सहायक शिक्षक	4	अ.ज.जा.	पीएम श्री सेजेस नटवर, सेजेस पुसौर, पीएम श्री सेजेस तमनार, सेजेस चपले
20	सहायक शिक्षक	1	अ.पि.व.	पीएम श्री सेजेस कोड़ातराई
21	सहायक शिक्षक	4	अ.जा.	सेजेस पुसौर, पीएम श्री सेजेस धरमजयगढ़, सेजेस चपले, पीएम श्री सेजेस कोड़ातराई
22	प्रयोगशाला सहायक	1	अनारक्षित	पीएम श्री सेजेस तमनार
24	ग्रंथपाल	2	अनारक्षित	पीएम श्री सेजेस तमनार एवं पीएम श्री सेजेस धरमजयगढ़,
25	प्री—प्राईमरी टीचर	6	अ.ज.जा.	पीएम श्री सेजेस नटवर, सेजेस पुसौर, पीएम श्री सेजेस लैलूंगा, पीएम श्री सेजेस घरघोड़ा, सेजेस कोतरा, पीएम श्री सेजेस कोड़ातराई
26	प्री—प्राईमरी टीचर	1	अनारक्षित	पीएम श्री सेजेस घरघोड़ा

निरंतर............................

उपरोक्त संविदा मानदेश राशि व्याख्याता/प्रधान पाठक माध्यमिक शाला पद हेतु 38100=00, शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला पद हेतु 35400=00 एवं सहायक शिक्षक/प्रयोगशाला सहायक/ग्रंथपाल पद हेतु 25300=00 तथा प्री–प्राईमरी टीचर पद हेतु 15000=00 रूपये (मासिक एकमुश्त) देय होगा।

अभ्यर्थी निचे दिये गये निर्देशों का अवलोकन कर ही आवेदन करें।

विज्ञापित पदों हेतु आवेदन के लिये लिंक निम्नानुसार हैं :–

1. **व्याख्याता पद हेतुः–** https://tinyurl.com/ze7nscsv
2. **प्रधान पाठक माध्यमिक खण्ड पद हेतुः–** https://tinyurl.com/azm4ap9m
3. **प्रधान पाठक प्राथमिक खण्ड पद हेतुः–** https://tinyurl.com/y3eyxr6j
4. **शिक्षक/व्यायाम शिक्षक/कम्प्यूटर शिक्षक पद हेतुः–** https://tinyurl.com/2hrkfxk8
5. **ग्रंथपाल पद हेतुः–** https://tinyurl.com/bp7xzx5k
6. **सहायक शिक्षक पद हेतुः–** https://tinyurl.com/3mjtxayb
7. **प्रयोगशाला सहायक पद हेतुः–** https://tinyurl.com/mtcf628p
8. **प्री–प्राईमरी टीचर पद हेतुः–** https://tinyurl.com/3fjvcduk

चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:–

1. विज्ञापित पदों के आधार पर योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा आनलाईन गूगल फॉम में अपने मूल अंकसूची अनुसार कक्षा 12 वीं, स्नातक एवं स्नाकोत्तर का प्रतिशत अंकित करना होगा।
2. प्रत्येक स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की समिति पृथक–पृथक है तथा प्रत्येक के लिए पृथक–पृथक आरक्षण लागू होगा। एक अभ्यर्थी एक ही पद हेतु आवेदन कर सकते हैं।
3. मेरीट सूची निम्नानुसार प्रतिशत के आधार पर जारी होगाः– **अ**– व्याख्याता/प्रधान पाठक माध्यमिक शाला पद हेतु कक्षा 12 वीं का 40 प्रतिशत + स्नातक का 20 प्रतिशत + स्नाकोत्तर का 20 प्रतिशत+ अध्यापन कार्य में अनुभव 1 वर्ष के विरूद्ध 4 प्रतिशत एवं 5 वर्ष या उससे अधिक की स्थिति में 20 प्रतिशत। **ब**– शिक्षक/व्यायाम शिक्षक/कम्प्यूटर शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला हेतु कक्षा 12 वीं का 60 प्रतिशत + स्नातक का 20 प्रतिशत + अध्यापन कार्य में अनुभव 1 वर्ष के विरूद्ध 4 प्रतिशत एवं 5 वर्ष या उससे अधिक की स्थिति में 20 प्रतिशत। **स**– सहायक शिक्षक/ग्रंथपाल/प्रयोगशाला सहायक/ग्रंथपाल/प्री–प्राईमरी टीचर हेतु कक्षा 12 वीं का 80 प्रतिशत + अध्यापन कार्य में अनुभव 1 वर्ष के विरूद्ध 4 प्रतिशत एवं 5 वर्ष या उससे अधिक की स्थिति में 20 प्रतिशत।
4. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अधीन रहेगी।
5. विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यवसायिक योग्यता ही मान्य होगी।
6. अभ्यर्थी को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
7. दस्तावेज सत्यापन के दौरान सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति साथ लेकर आना अनिवार्य है।
8. आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2025 कि स्थिति में की जाएगी। उम्र में शासन के निर्धारित नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा।
9. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई, बढ़ाई अथवा विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।
10. चयन के संबंध में चयन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
11. भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदों पर सीधी भर्ती किए जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
12. अन्य पिछड़ावर्ग के आरक्षित पदों पर केवल **NON CREAMY LAYER** अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। जिसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होना अनिवार्य होगाः–

1. अभ्यर्थियों की सम्पूर्ण स्कूली शिक्षा **(माध्यमिक स्तर से अंत तक)** केवल अंग्रेजी माध्यम से (व्याख्याता हिन्दी एवं संस्कृत पद को छोड़कर) ही हुई हो। अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।

निरंतर................

2. **व्याख्याता–सामाजिक विज्ञान** के अंतर्गत स्नातकोत्तर (भूगोल/इतिहास/अर्थशास्त्र/राजनीति) तथा बी.एड. की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। **व्याख्याता अंग्रेजी पद** हेतु स्नाकोत्तर में अंग्रेजी मुख्य भाषा के रुप में होना अनिवार्य होगा।
3. **व्याख्याता हिन्दी एवं संस्कृत पद हेतु** अभ्यर्थी को स्नाकोत्तर उसी विषय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना तथा बी.एड. प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को हिन्दी अथवा अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. **शिक्षक पद** हेतु निर्धारित योग्यता के साथ बी.एड. एवं टी.ई.टी./सी. टी.ई.टी. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
5. **शिक्षक– कला** हेतु स्नातक में अंकित विषयों (भूगोल/इतिहास/अर्थशास्त्र/राजनीति) में से दो विषय अनिवार्य रूप से होनी चाहिये एवं बी.एड. प्रशिक्षित होना अनिवार्य है।
6. **व्यायाम शिक्षक हेतु** नर्धारित योग्यता के साथ बी.पी.एड. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
7. **कम्पयूटर शिक्षक पद** हेतु स्नातक (बी.ई./बी.टेक./बी.एस.सी./बी.सी.ए.) कम्प्यूटर साईंस से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होने के साथ–साथ बी.एड. प्रशिक्षित एवं होना अनिवार्य है।
8. **सहायक शिक्षक पद** हेतु डी.एड./डी.एल.एड एवं टी.ई.टी./सी. टी.ई.टी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
9. **ग्रंथपाल के पद** हेतु निर्धारित योग्यता के साथ बी.लीब. उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
10. **प्री–प्राईमरी टीचर के** हेतु एन.टी.टी./डी.एड./डी.एल.एड उतीर्ण होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन का अनुभव एवं अंग्रेजी भाषा बोलने, पढ़ने में दक्ष हो।

नियुक्ति अवधि :–

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 4 (1) के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पदों पर संविदा नियुक्ति तीन वर्ष की कालावधि के लिये की जावेगी । तथापि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा आधार पर नियुक्ति की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात् संविदा नियुक्ति की कालावधि बढ़ाया जा सकेगा जो कि शासन के आगामी निर्देश के अंतर्गत प्रतिबंधित होगा
2. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा तीन माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में तीन माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी।

निरर्हताएँ:–

1. अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिये निरर्हित माना जा सकेगा ।
2. कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो कि विहीत की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप में स्वस्थ्य तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो कि सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये । परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी का उसकी स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि व चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।
3. कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्व किसी अपराध या अन्य अपराध का सिध्द दोष ठहराया गया हो , किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा । परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा, जब तक उस अपराधिक प्रकरण का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये ।

निरंतर.................

अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता का निर्णय संबंधी :–

1. चयन के लिये अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता का विनिश्चय अंतिम होगा।

2. चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्तिकर्ता के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके व्दारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन /नियुक्ति नियुक्तिकर्ता व्दारा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी ।

अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन के संबंध में आगामी सूचनाओं हेतु जिले के वेब साईट **https://raigarh.gov.in** का निरंतर अवलोकन करते रहेंगे।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला शिक्षा अधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/2751 /सेजेस सेल/सं.भ.वि./2025–26 रायगढ़ दिनांक 22 मई 2025

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन खण्ड–03 प्रथम तल अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर रायगढ़ जिला रायगढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ को सादर सूचनार्थ ।
6. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
7. सहायक संचालक जिला जनसंपर्क कार्यालय रायगढ़ को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, **NIC** जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं उक्त विज्ञापन विस्तृत विवरण सहित रायगढ़ जिले के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
9. सर्व विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. सर्व प्राचार्य, स्वा.आ.उ.अं. माध्यम योजनांतर्गत संचालित विद्यालय, जिला रायगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला शिक्षा अधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)